



HARYANA POLICE CITIZEN SERVICES (हरियाणा पुलिस नागरिक सेवा)

FIRST INFORMATION REPORT (Under Section 173 B.N.S.S)

प्रथम सूचना रिपोर्ट

1. **District (ज़िला):** State Vigilance & Anti Corruption Bureau, Haryana **P.S. (थाना):** ACB, Panchkula **Year (वर्ष):** 2026

FIR No. (प्र.सू.रि. सं.): 0010

Date (दिनांक): 14/07/2026

15:01

2. S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धारा(एँ))
1	PREVENTION OF CORRUPTION ACT, 1988	7

3. (a) Occurrence of offence (अपराध की घटना):

1 **Day (दिन):** Intervening Days **Date from (दिनांक से):** 29/06/2026 **Date To (दिनांक तक):** 14/07/2026

Time Period (समय अवधि): **Time From (समय से):** 00:00 hrs **Time To (समय तक):** 00:00 hrs

(b) **Information received at P.S. (थाना जहां सूचना प्राप्त हुई):** **Date (दिनांक):** 14/07/2026 **Time (समय):** 14:34 hrs

(c) **General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ):** **Entry No. (प्रविष्टि सं.):** 014 **Time (समय):** 14/07/2026 14:34 hrs

4. **Type of Information (सूचना का प्रकार):** Written



HARYANA POLICE CITIZEN SERVICES (हरियाणा पुलिस नागरिक सेवा)

FIRST INFORMATION REPORT (Under Section 173 B.N.S.S)

प्रथम सूचना रिपोर्ट

5. Place of Occurrence

(घटनास्थल):

1. (a) Direction and distance from P.S. (थाना से दूरी और दिशा): EAST, 100 Km(s) Beat No. (बीट सं.):
(b) Address (पता): सिचाई एवं जल संसाधन, विभाग यमुनानगर
(c) In case, outside the limit of this Police Station, then Name of P.S. (यदि थाना सीमा के बाहर है तो थाना का नाम):

District (State) (जिला (राज्य)):

6. Complainant / Informant (शिकायतकर्ता /

सूचनाकर्ता):

- (a) Name (नाम): जरनैल सिंह पुत्र श्री ज्वाला सिंह
- (b) Father's Name (पिताका नाम):
- (c) Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष): 1949 (d) Nationality (राष्ट्रियता): INDIA
- (e) UID No. (यूआईडी सं.):
- (f) Passport No. (पासपोर्ट सं.):
Date of Issue (जारी करने की तिथि): Place of Issue (जारी करने का स्थान):
- (g) Occupation (व्यवसाय):
- (h) Address (पता):



HARYANA POLICE CITIZEN SERVICES (हरियाणा पुलिस नागरिक सेवा)

FIRST INFORMATION REPORT (Under Section 173 B.N.S.S)

प्रथम सूचना रिपोर्ट

S.No. (क्र.सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	Present Address	निवासी मकान नम्बर 19 सैक्टर-17, हुड्डा जगाधरी जिला यमुनानगर, SEC.17 HUDA, JAGADHRI YAMUNANAGAR, YAMUNA NAGAR, HARYANA, INDIA
2	Permanent Address	निवासी मकान नम्बर 19 सैक्टर-17, हुड्डा जगाधरी जिला यमुनानगर, SEC.17 HUDA, JAGADHRI YAMUNANAGAR, YAMUNA NAGAR, HARYANA, INDIA

(i) Phone number (दूरभाष सं.):

Mobile (मोबाइल सं.):

7. Details of known / suspected / unknown accused with full particulars (ज्ञात / संदिग्ध / अज्ञात अभियुक्त का पूरे विवरण सहित वर्णन):

S. No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)
1	जे.ई. सौरभ कुमार		

8. Reasons for delay in reporting by the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):

9. Particulars of properties of interest (संबन्धित सम्पत्ति का विवरण):

S. No. (क्र.सं.)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Sub Type (उप प्रकार)	Value(In Rs/-) (मूल्य (रु में))



HARYANA POLICE CITIZEN SERVICES (हरियाणा पुलिस नागरिक सेवा)

FIRST INFORMATION REPORT (Under Section 173 B.N.S.S)

प्रथम सूचना रिपोर्ट

10. Total value of property stolen (In Rs/-) (चोरी हुई सम्पत्ति का कुल मूल्य(रु में)):
11. Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण सं., यदि कोई हो):

S. No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.डी.प्रकरण सं.)
---------------------	--------------------------------

12. First Information contents (प्रथम सूचना तथ्य):

नकल लेख इस प्रकार से है,
सेवा में,

इन्सपेक्टर सहिब,
विजीलेंस, यमुनानगर

श्रीमान जी

निवेदन है कि मैं जरनैल सिंह पुत्र श्री ज्वाला सिंह मकान न. 19, सैक्टर-17 हुड्डा जगाधरी जिला यमुनानगर का रहने वाला हूं और सिचाई एवं जल संशाधन विभाग से SDO के पद से वर्ष 2007 से सेवानिवृत्त हूं मैं वर्तमान में अपनी फर्म जरनैल सिंह कान्ट्रक्टर के माध्यम से विभिन्न सरकारी विभागों में ठेकेदारी का कार्य करता हूं। जो मैंने पिछले साल वर्ष 2025 में माह मई व माह जुलाई के सिचाई एवं जल संशाधन विभाग यमुनानगर मे वर्क आर्डर के माध्यम से पश्चिमी यमुना नहर पर हमीदा हैड के पास कन्सट्रक्शन के दो कार्य तथा एक कार्य इसी नहर पर दामला के पास किया था जिनकी विभाग के सम्बन्धित अधिकारियों द्वारा MB भरी गई थी और जरूरी कार्यवाही करने उपरान्त बिल तैयार किए गए थे जिनकी कुल धनराशि रु 850000/- हजार के करीब है। लेकिन विभाग द्वारा मेरे उक्त बिलों की अदायगी नहीं की गई। जिसको लिए मैं विभाग काफी चक्कर लगाता रहा सम्बन्धित अधिकारियों जे. ई सौरभ कुमार, SDO Rajesh Katariya Xen. रविन्द्र गर्ग और SE रवि शंकर मित्तल से उनके कार्यालय में जाकर मिलता रहा। लेकिन वह उक्त बिलों को जानबुझकर रिश्त के ही कारण लटकाते रहे। इसके बाद मे उक्त बिलों की अदायगी के सम्बन्ध में मेरी मोबाईल नम्बर 9416650255 से सौरभ कुमार जे.ई. से उसके मोबाईल नम्बर 8929851804 पर बातचीत होती रही दिनांक 29/6/26 को मेरे उक्त कार्यों में से एक कार्य की पैमेन्ट 2,74,799/- रुपये मुझे मेरे बैंक खाता के माध्यम से प्राप्त हुए। इसके बाद दिनांक 10.07.2026 को जे.ई सौरभ कुमार ने मुझसे बातचीत की और



HARYANA POLICE CITIZEN SERVICES (हरियाणा पुलिस नागरिक सेवा)

FIRST INFORMATION REPORT **(Under Section 173 B.N.S.S)**

प्रथम सूचना रिपोर्ट

कहा कि आपके एक बिल की अदायगी हो चुकी है और आप इसका हिसाब किताब कर देना तो मैंने कहा कि जैसे करना है बताओ और यह भी कहा कि पहले तो मेरे पूरे बिलों की अदायगी नहीं हुई है और इस बिल की अदायगी भी एक साल बाद हुई है। तो उसने कहा कि सर SDO वा Xen को भी देने है। तो मैंने मजबूरीवस कह दिया कि आप 10000/-रुपए अपने 10000/-,10000/-रुपए SDO व Xen के ले लेना जिसने मुझे कहा की 10000/-रुपए तो कम है आप अभी 15000/-,15000/- कर देना और बाकी के बिलों का हिसाब किताब बाद में कर लेगे। जिसकी मैंने मजबूरीवस हां कर दी लेकिन मैं उसको यह रिस्वत की राशि नहीं देना चाहता। और उसे आज 45000/-रुपए बतौर रिस्वत देकर रंगे हाथ पकड़वाना चाहता हूं। मैंने उपरोक्त जे.ई. सौरभ कुमार की मुझसे रिश्त के सम्बन्ध में दिनांक 10/7/26 को हुई बातचीत की कॉल रिकार्डिंग को अपने मोबाईल फोन मार्का Samsung Galaxy में की हुई है जिसने आज भी मुझे अपने उक्त मोबाईल न.से मेरे पास फोन किया और मुझे रिश्त के पैसे लेकर सिंचाई विभाग जगाधरी के कार्यालय के बाहर चाय की दुकान पर बुलाया है जिसकी भी रिकार्डिंग मेरे फोन है जो इन दोनों रिकार्डिंग की एक कॉपी पैन ड्राईव मार्का Sandisk 32 GB बारंग सिल्वर में डालकर आपको पेश कर रहा हूं तथा आज सौरभ कुमार उपरोक्त को रिश्त के रूप में दी जानी वाली राशि 500/500 रुपये के 90 नोट कुल 45000/-रुपए भी अपने पास में आपको शिकायत के साथ पेश कर रहा हूं अगर मैं उसको यह रिश्त राशि नहीं दूंगा तो वह मेरे बकाया बिलों के भुगतान के अनावश्यक अड़चने पैदा कर सकता है। उसने आज मुझे यह भी कहा है कि अगर मैं नहीं आ पाया तो मैं किसी अन्य व्यक्ति को आपके पास रिश्त के पैसे लेने भेज दूंगा। कृप्या उसके खिलाफ कानूनी कारवाई की जाए-Sd-

Jarnial
H.no.19 Sector -17
HUDA Jagadhri
9416650255
Dt.14/7/26.

कार्यवाही पुलिस:- आज मन निरीक्षक, निरीक्षक उधम सिंह न. 597/ यमुनानगर, ई.एस.आई. सतबीर सिंह न. 696/गुरुग्राम, सहायक उप निरीक्षक पपिन्दर सिंह न. 1227/ कुरुक्षेत्र, मुख्य सिपाही विमल कुमार न. 702/ पंचकूला तथा मुख्य सिपाही सुखविन्द्र सिंह न. 1253/अम्बाला के कार्यालय राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, उपकेन्द्र यमुनानगर हाजिर हूं कि जरनैल सिंह पुत्र श्री ज्वाला सिंह निवासी मकान न. 19, सैक्टर-17 हुड्डा, जगाधरी जिला यमुनानगर ने हाजिर कार्यालय आकर



HARYANA POLICE CITIZEN SERVICES (हरियाणा पुलिस नागरिक सेवा)

FIRST INFORMATION REPORT **(Under Section 173 B.N.S.S)**

प्रथम सूचना रिपोर्ट

अपनी उपरोक्त हस्तलिखित शिकायत व एक अदद रिकार्डिड पैन ड्राईव मार्का Sandisk 32 GB बारंग सिल्वर मन निरीक्षक को पेश की। जो रिकार्डिंग पैन ड्राईव में मौजूद आडियों रिकार्डिंग को सरकारी कम्प्यूटर के माध्यम से चलाकर सुनने व शिकायत के सार से अपराध धाराधीन 7 पी.सी.एक्ट 1988 का होना पाया जाता है। रिकार्डिंग पैन ड्राईव को खुद की तहवील में लेकर बजरिया फर्द बतौर वजह सबूत कब्जा पुलिस में लिया गया। जो हालात बारे अफसरानबाला को बजरिया टेलीफोन सूचित किया गया तथा रेड कार्रवाई के लिए राजपत्रित अधिकारी/स्वतंत्र गवाह नियुक्त करने के लिए अनुरोध किया गया। जो दरखास्त उपरोक्त पर लेख तैयार करके अभियोग अंकित करवाने के लिए ई.एस.आई. सतबीर सिंह न. 696/ गुरुग्राम को थाना राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, सैक्टर-17, पंचकुला भेजा जा रहा है। अभियोग अंकित करके स्पेशल रिपोर्ट अभियोग स्पेशल मैसेन्जर वा ईमेल के माध्यम से स्पेशल जज यमुनानगर की सेवा में वा प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियों उच्च अधिकारीगण की सेवा में भिजवाई जायें। मन निरीक्षक रेड कार्यवाही की अन्य औपचारिकताएं पूर्ण करने में व्यस्त होता हूं।

अज:- कार्यालय राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, उपकेन्द्र यमुनानगर।

(तेजपाल)

निरीक्षक/ईन्चार्ज,

राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, उपकेन्द्र यमुनानगर।

दिनांक: 14.07.2026

समय :11:45 AM

उपरोक्त तहरीर पर अभियोग नम्बर 10 दिनांक 14.07.2026 धारा 7 पी.सी.एक्ट 1988 थाना राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो सैक्टर-17 पंचकुला अंकित करके स्पेशल रिपोर्ट ई. मेल के माध्यम से स्पेशल मैजीस्ट्रेट साहब, जगाधरी जिला यमुनानगर की सेवा में व उच्च अधिकारियों की सेवा में भिजवाई जा रही है। असल तहरीर व अभियोग की पुलिस फाईल ई.एस.आई. सतबीर सिंह 696/गुरुग्राम के माध्यम से मोका पर भेजी गई है। इन्द्राज रिकार्ड विधि अनुसार किया गया।



HARYANA POLICE CITIZEN SERVICES (हरियाणा पुलिस नागरिक सेवा)

FIRST INFORMATION REPORT (Under Section 173 B.N.S.S)

प्रथम सूचना रिपोर्ट

Action taken: Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.

(की गयी कार्यवाही : चूंकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता है कि अपराध करने का तरीका मद सं. 2 में उल्लेख धारा के तहत है.):

(1) Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जांच के लिए लिया गया): or (या) Rank (पद): I (Inspector)

(2) Directed (Name of I.O.) (जांच अधिकारी का नाम):
Tejpal

No. (सं.): PSI to take up the Investigation (को जांच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or (या)

Directed (Mobile No. of I.O.) (जांच अधिकारी का मोबाइल नंबर): 918168483862

(3) Refused investigation due to (जांच के लिए): or (के कारण इंकार किया या) District (ज़िला):

(4) Transferred to P.S. (थाना):

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित).

F.I.R. read over to the complainant / informant, admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant /informant, free of cost. (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गयी, सही दर्ज हुई माना और एक कॉपी निशुल्क शिकायतकर्ता को दी गयी)

R.O.A.C. (आर.ओ.ए.सी.)

14.

Signature of Officer in charge, Police
Station (थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Name (नाम): MOHIT HANDA



HARYANA POLICE CITIZEN SERVICES (हरियाणा पुलिस नागरिक सेवा)

FIRST INFORMATION REPORT (Under Section 173 B.N.S.S)

प्रथम सूचना रिपोर्ट

Signature / Thumb
impression
of the complainant /
informant (शिकायतकर्ता /
सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे
का निशान)

Rank (पद): SP (Superintendent of
Police)

No. (सं.): IPS

15. Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक
और समय):



HARYANA POLICE CITIZEN SERVICES (हरियाणा पुलिस नागरिक सेवा)

FIRST INFORMATION REPORT (Under Section 173 B.N.S.S)

प्रथम सूचना रिपोर्ट

Attachment to item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7

संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused: (If known / seen)

(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण: (यदि ज्ञात / देखा गया))

S. No. (क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date / Year Of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट)	Height (cms) (कद (से.मी.))	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
1	2	3	4	5	6	7
1	Male	1996				
						Is pox pitted: Yes

Deformities / Peculiarities (विकृतियाँ / विशिष्टताएँ)	Teeth (दाँत)	Hair (बाल)	Eye (आँखें)	Habit(s) (आदतें)	Dress Habit (s) (पहनावा)
8	9	10	11	12	13

Language/Dialect (भाषा/बोली)	Place of (का स्थान)					Others (अन्य)
	Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma (लुकोदेर्मा(सफ़ेद धब्बे))	Mole (मस्सा)	Scar (घाव)	Tattoo (गूदे हुए का)	
14	15	16	17	18	19	20

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.

(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है)



HARYANA POLICE CITIZEN SERVICES (हरियाणा पुलिस नागरिक सेवा)

FIRST INFORMATION REPORT **(Under Section 173 B.N.S.S)**

प्रथम सूचना रिपोर्ट